प्रेषक,

आयुक्त
लखनऊ मण्डल,
उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक,
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद,
उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए–46,शान्तिपथ,तिलक नगर,
जयपुर– 302004(राजस्थान)।

पत्रांकः

विषयः **निजी संस्थानों को दो वर्षीय बी0टी0सी0/एन0टी0टी0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त करने के सन्दर्भ में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

निजी संस्थाओं को बी0टी0सी0/एन0टी0टी0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु एन0सी0टी0ई0 से मान्यता देने से पूर्व राज्य सराकर द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या –1085/07.05.12 दिनांक 27.06.11 के क्रम में गठित समिति द्वारा **सरदार भगतसिंह कालेज आफ हायर एजुकेशन, लखनऊ** को बी0टी0सी0/एन0टी0टी0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया हैः–

1. संस्थान को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रख्यापित अधिनियम तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये नीति/नियम/आदेश का अनुपालन संस्थानों के लिए बाध्यकारी होगा।
2. नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशन के संबंधित उपायों को संस्थान द्वारा सदैव सुनिश्चित किया जायेगा। जनहित याचिका सं0 483/2004 अवनीश मेहरोत्रा बनाम यूनियम ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.04.2009 के अनुपालन में संस्थान द्वारा राज्य सरकार से सम्बद्धता प्राप्त होने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्यालय का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप है एवं उसमें अग्निशमन यन्त्र स्थापित हो चुका है तथा स्टाफ अग्निशमन उपायों हेतु भलीभाँति प्रशिक्षित है।
3. संस्थान भविष्य में राज्य सरकार से किसी प्रकार के अनुदान की मांग नहीं करेगा।
4. अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने का आशय यह कदापि न समझा जाये कि संस्था को बी0टी0सी0/एन0टी0टी0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु संबद्धता स्वतः प्राप्त हो गया है। संबद्धता के संदर्भ में संस्थान को एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा इस हेतु निर्धारित नीति/प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जानी होगी।

उपर्युक्त प्रतिबन्धो का पालन करना संस्थान के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उपुर्यक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक अथवा शिथिलता बरती जा रही है या तथ्यगोपन करके अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है, तो प्रदत्ता अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(प्रशान्त त्रिवेदी)
आयुक्त
लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

पृ0स0/ 27/–80/2012–13 /2011–12, 17/5/12

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, हंस भवन, विंग–II , 1 बहादुरशाह जफर मार्ग, नियर आई0टी0आई0, नई दिल्ली 11002
2. सचिव, बेसिक शिक्षा उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
5. सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।
7. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बे0) लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
8. बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
9. सम्बन्धित प्रबन्धक/प्राचार्य/सचिव, सरदार भगतसिंह कालेज आफ हायर एजुकेशन, लखनऊ।

(प्रशान्त त्रिवेदी)
आयुक्त
लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

V.I/sercular.doc.letter